6/7/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली एक पक्षीय बहस भगवान नाथ
में नियत होने से एक पक्षीय बहस वकील वादी की सुनी गई।
वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र, शपथ पत्र एवं
संलग्न राजस्व रेकार्ड मय विपक्षी श्रीमती कमला पुत्री रामनाथ
द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार वाद पत्र में
वर्णित वादग्रस्त आराजी में घासीनाथ के स्थान पर
भगवान नाथ दर्ज किये जाने की सहमति दी गई। दिनांक
29.6.2021 को वादी स्वयं भगवान नाथ द्वारा एवं गवाह
श्री कैलाश चन्द्र व चुन्नीलाल के द्वारा शपथ प्रस्तुत
किये गये लिये दर्ज कराये गये बयानों का तथा वकील
वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में दस्तावेज प्रदर्श कराये गये
नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 घासीनाथ का स्वर्गवास होने के
शोक पत्रिका प्रदर्श-2 का अवलोकन परीक्षण किया गया
तथा दौरान बहस वकील वादी द्वारा दोहराये गये तथ्यों के
सम्बन्ध में वादपत्र का गहन अध्ययन किया गया तो,
पाया गया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी
में दर्ज मूलक घासीनाथ का नाम दर्ज है। घासीनाथ
सांसारिक जीवन त्याग कर साधु जीवन व्यतीत करने से

उपखण्ड अधिकारी
झुंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.08.02 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए
	इनके कोई सन्तान नही हुई विरासत व उत्तराधिकारी अनुसार धासीनाथ की जगह पर वादी भगवाननाथ का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित होकर उचित है। अतः वादपत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजी नम्बर 2636/2200 रकबा 0.4200 है. भूमि में मृतक धासीनाथ के बजाय वादी भगवाननाथ को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इस आशय का डिक्री पर्चा अलग से किया जावे। इस आशय का डिक्री पर्चा अलग से उद्ध्रित होकर संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.08.02 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested